

## कार्यालय प्रथम अपीलीय अधिकारी, जिला कलेक्टर, दौसा

श्री हर सहाय सैनी पुत्र स्व० श्री हीरालाल सैनी निवासी बोडी कोठी, ग्राम छोकरवाडा  
तहसील सिकराय, जिला दौसा (राज०)

बनाम

लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी, सिकन्दरा तहसील सिकराय  
जिला दौसा



अपील सं० 69/2017

निर्णय

दिनांक 27.12.2017

संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी/  
सहायक लोक सूचना अधिकारी, सिकन्दरा तहसील सिकराय जिला दौसा को सूचना  
/नकल हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थी को वॉछित सूचना/नकल निर्धारित  
समयावधि में प्राप्त नहीं हुई। इसी से पीडित होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। अपीलांट द्वारा लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक  
सूचना अधिकारी, सिकन्दरा को सूचना चाहने हेतु दिनांक 17.09.2017 को आवेदन किया  
गया था। इसलिए नायब तहसीलदार, सिकन्दरा जिला दौसा को आवेदन पत्र की छाया  
प्रति प्रेषित कर संबंधित को वॉछित नकल/सूचना उपलब्ध करवाई जाकर जाँच टिप्पणी  
मँगवाई गई।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि  
नायब तहसीलदार, सिकराय जिला दौसा से निर्धारित अवधि तक वॉछित रिपोर्ट प्राप्त  
नहीं होने पर पुनः इस कार्यालय का पत्रांक डीएम/कोर्ट/आरटीआई/2017/7079  
दिनांक 18.12.17 द्वारा स्मरण-पत्र जारी किया गया। किंतु बावजूद स्मरण-पत्र उनकी  
ओर से कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ। इससे स्पष्ट होता है कि अपीलांट द्वारा चाही गई  
सूचना/नकल उपलब्ध नहीं करवाई गई है। सूचना का अधिकार अधिनियम- 2005 के  
तहत प्राप्त आवेदन पत्र की सूचना संबंधित व्यक्ति को 30 दिवस की समयावधि में  
उपलब्ध कराने का प्रावधान है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है।  
लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, सिकराय व उप तहसीलदार, सिकन्दरा जिला दौसा  
को निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलांट को वॉछित सूचना/नकल आदेश प्राप्ति के 07  
दिवस के भीतर नियमानुसार उपलब्ध करावें। संबंधित को निर्णय प्रति प्रेषित करें। बाद  
पूर्ति पत्रावली प्रविष्ट लेख भण्डार हो।

(नरेश कुमार शर्मा)  
जिला कलेक्टर, दौसा  
जिला कलेक्टर, दौसा